

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1831 / 2014 / हनुमानगढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि.
भादरा, हनुमानगढ़

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थितः

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
श्री ओ.पी. गुप्ता
अधिकृत प्रतिनिधि

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :- 27 / 12 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर द्वारा अपील संख्या 222 / आरवैट / 2012-13 / उपा / अपील्स / अलवर के आदेश दिनांक 06.03.2014 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,08,658 / - को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.02.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-II, प्रतिकरापवंचन, अलवर द्वारा वाहन संख्या HR-46A/9481 को बाईपास रोड, खैरथल पर रोक कर चैक करने पर उसमें एस.एस. गर्डर लदा पाया गया। जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक द्वारा माल से संबंधित एक टेप से चिपका हुआ सीलबन्द लिफाफा मैसर्स प्रहलादराय भगवान सहाय, खैरथल के नाम पेश किया। उक्त लिफाफे को जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा वाहन चालक / माल प्रभारी की मौजूदगी में खोले जाने पर उसमें मैसर्स प्रिन्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, हिसार द्वारा हिसार (हरियाणा) से भादरा (राजस्थान) के लिए जारी जी.आर. नं. 047 दिनांक 13.02.2013 व मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि., भादरा का एक प्रिन्टेड लेटर हैड (बिना क्रमांक) दिनांक 13.02.2013, मैसर्स जिन्दल कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा, हिसार की

31

कांटापर्ची संख्या 1681 दिनांक 13.02.2013 तथा एक लूज पर्ची जिसमें माल की विगत अंकित है, मौजूद पाई गई। उक्त के अलावा अन्य कोई दस्तावेज वक्त जांच पेश नहीं किये गये।

3. वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा अपने बयानों में जाहिर किया गया कि वाहन में लदा माल मैसर्स जिन्दल रोलिंग मिल, हिसार (हरियाणा) से खैरथल (राजस्थान) के लिए लोड किया गया तथा वक्त जाँच प्रस्तुत माल के दस्तावेजों का सीलबन्द लिफाफा हिसार फैक्ट्री से ही इन निर्देशों के साथ दिया गया कि उक्त लिफाफा खोलना नहीं है तथा वाहन में इसके अलावा अन्य कोई माल नहीं होना जाहिर किया गया।

4. इसके अतिरिक्त वाहन की केबिन में रखा एक अन्य सीलबन्द लिफाफा भी पाया गया था जिसमें एक जी.आर. नं. 048 दिनांक 13.02.2013 हिसार से भादरा की बनी हुई थी जिसमें माल 9290 किलोग्राम एम.एस. जोइस्ट उल्लिखित था; मै. हिसार होल्डिंग्स प्रा.लि., भादरा का एक प्रिन्टेड लेटर हैड (बिना क्रमांक) दिनांक 13.02.2013 पाया गया जिसमें मैसर्स राजस्थान आयरन स्टोर, सोडावास को परिवहन के दौरान बिक्री (E-1 Sale) किया जाना अंकित पाया गया। इस बाबत वाहन चालक/माल प्रभारी ने जाहिर किया कि उक्त माल भी मै. जिन्दल रोलिंग मिल, हिसार (हरियाणा) से लोड करके आज ही मैसर्स राजस्थान स्टोर, सोडावास (राजस्थान) को डिलीवर किया गया है। उक्त बन्द लिफाफा भी बिना खोले सीलबन्द हिसार फैक्ट्री में वापस लाकर देने के निर्देश मिलना जाहिर किया। इस प्रकार प्रकरण में कर योग्य अधिसूचित माल एस.एस. गर्डर का परिवहन हिसार (हरियाणा) से खैरथल (राजस्थान) के लिए किये जाने एवं उक्त माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज यथा एक पृष्ठांकित (endorsed) की हुई बिल्टी एवं बिना क्रमांक का मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि., भादरा का एक प्रिन्टेड लेटर हैड दिनांक 13.02.2013 आदि दस्तावेज पाये गये थे।

5. जाँच अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(b) के अनुसार यथोचित दस्तावेज नहीं पाये जाने के कारण जाँच अधिकारी द्वारा वाहन को करापवंचन के सन्देह में अधिनियम की धारा 76(5)(a) के अन्तर्गत डिटैन किया गया।

6. दिनांक 15.02.2013 को सक्षम अधिकारी के समक्ष मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि. भादरा के निदेशक श्री रघुनाथ सिंह अपने अधिकृत प्रतिनिधि सहित उपस्थित हुए तथा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया जिसे निर्धारण प्राधिकारी ने स्वीकार करते हुए उन्हें पक्षकार बनाया। श्री रघुनाथ सिंह ने परिवहनित माल के सम्बन्ध में मैसर्स जिन्दल रोलिंग मिल्स लि., हिसार द्वारा मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि., भादरा के नाम जारी बिल संख्या 1138 दिनांक 13.02.2013 तथा परिवहनित माल के साथ में रखा जाने वाला हरियाणा राज्य का Form VAT D3 तथा राजस्थान राज्य का Form VAT 47

32

निष्कर्ष

2

प्रस्तुत किये। साथ ही जाहिर किया कि इन दस्तावेजों का एक लिफाफा वाहन चालक बहरोड़ के किसी ढाबे पर चाय पीने के दौरान छोड़कर आ गया था। इन दस्तावेजों के साथ उन्होंने अपनी फर्म मैसर्स हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि., भादरा द्वारा मैसर्स प्रहलादराय भगवानसहाय, खैरथल के नाम जारी बिक्री बिल संख्या 14 दिनांक 13.02.2013 भी पेश किया।

7. जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी के इस कथन को कि वाहन चालक एक लिफाफा चाय पीने के दौरान बहरोड़ के किसी ढाबे पर छोड़ आया था, मिथ्या, अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक मानते हुए इसे केवल प्रकरण में कानूनी दावपेचों में फायदा लेने हेतु पेश करना माना।

8. जांच अधिकारी ने पाया कि यह करयोग्य अधिसूचित माल एम.एस. गर्डर जो मूल रूप से हिसार (हरियाणा) से भादरा (राजस्थान) हेतु परिवहनित किया जा रहा था तथा जिसको Transfer of documents of title to the goods during their movement from one state to another के जरिए इसकी बिल्टी (GR) मैसर्स प्रहलाद राय भगवान सहाय, खैरथल के पक्ष में Endorse कर Sale in transit (E-1 Sale) under Section 6(2)(b) of the CST Act, 1956 बिक्री किया जाना घोषित किया गया था, लेकिन जांच पर उक्त करयोग्य माल 8300 kg. एम.एस. गर्डर कीमतन रु. 356715 + भाडा रु. 5478, कुल रु. 362193/- के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 76(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि जो दस्तावेज दिनांक 15.02.2013 को पेश किये गये थे उनमें भी Form VAT 47 अवधिपार था तथा उक्त दस्तावेज पश्चातवर्ती सोच (after thought), शास्ति व करारोपण से बचने के लिये पेश किये गये, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया तथा परिवहनित माल बिना यथोचित दस्तावेजों के परिवहनित करने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण हेतु धारा 76(6) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया।

9. सक्षम अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते हुए मार्गस्थ माल के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन पाये जाने पर रु. 1,08,658/- शास्ति आरोपण किया।

10. अपीलार्थी विभाग की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वाहन चालक के मूल बयानों में उसने यह कहीं भी नहीं बताया था कि वह किसी ढाबे पर कोई दस्तावेज भूलकर आया है, अतः प्रत्यर्थी का यह कथन मूल रूप में ही मिथ्या है। उन्होंने प्रत्यर्थी के इस कथन के सन्दर्भ में कि परिवहनित माल की परिवहन के दौरान ही बिक्री कर दी गई थी (Sale in transit), को अप्रामाणिक बताते हुए कथन किया कि माल के स्वामित्व के दस्तावेजों पर endorsement भादरा के क्रेता

31

व्यवहारी द्वारा ही किया जाना चाहिये था जबकि प्रस्तुत प्रकरण में endorsement का हस्तान्तरण प्रथम विक्रेता के द्वारा ही किया जाना प्रकट होता है। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि CST Act, 1956 की धारा 3(b) के प्रावधानानुसार "transfer of documents of title to the goods" की प्राथमिक अनिवार्यता स्वामित्व के प्रपत्रों का हस्तान्तरण किया जाना है तथा documents of title में invoice शामिल है परन्तु प्रश्नगत बिल पर ऐसा कोई endorsement नहीं पाया गया है, अतः प्रत्यर्थी द्वारा जो भी कागजात पेश किये गये हैं, वे पश्च-विचारित (after thought) होने के कारण मान्य नहीं किये जा सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि अवधिपार घोषणा पत्र VAT 47 को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने इन कथनों के परिपेक्ष्य में उन्होंने सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पूर्णतः विधि सम्मत बताते हुए अपीलीय आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि वाहन को दिनांक 14.02.2013 को चैक किया गया था परन्तु नोटिस दिनांक 15.02.2013 को जारी किया गया था तथा नोटिस जारी करने से पूर्व ही प्रत्यर्थी द्वारा पक्षकार बनने का निवेदन करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे जिनमें वाहन चालक द्वारा ढाबे पर भूलकर आये गये दस्तावेज भी शामिल थे एवं उन दस्तावेजों में घोषणा पत्र VAT 47 भी शामिल था। अतः इसमें कुछ भी after thought नहीं था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.पी. मेटल्स के प्रकरण में दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत किये गये उक्त दस्तावेज मान्य किये जाने योग्य थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक निर्णय भी उद्धरित किये :- 42 TUD Page 20 RHC; 42 TUD Page 34 RTB; 43 TUD Page 187 RHC; 35 TUD Page 49 RHC; 32 TUD Page 80 RHC.

12. इसी क्रम में उन्होंने घोषणा पत्र VAT 47 अवधि पार होने के बारे में बताया कि नियमानुसार इसकी एक वर्ष की समयावधि बढ़ाई जा सकती थी, अतः विभिन्न न्यायिक निर्णयों- 9 TUD 210 (RHC); 42 TUD 6 (RTB) तथा RTR 1 Page 26 (RTB), के प्रकाश में इस बिन्दु पर शास्ति आरोपण को विधि विरुद्ध बताते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

13. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

14. सक्षम अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वक्त जाँच दिनांक 14.02.2013 को वाहन चालक के पास जो दो सीलबन्द लिफाफे (पेपर टेप से सील किये हुए) पाये गये थे, वे उसे माल का परिवहन प्रारम्भ होने से पूर्व ही मैसर्स

31

जिन्दल रोलिंग मिल्स, हिसार के फैक्ट्री परिसर में ही दिये गये थे, ऐसा वाहन चालक के निम्नलिखित बयानों से स्पष्ट है -

“मैं कल दिनांक 13.02.2013 को इस वाहन में हिसार से यह माल लोड करके रवाना हुआ था, दस्तावेजों का लिफाफा मुझे माल प्रेषक मै. जिन्दल रोलिंग मिल्स, हिसार में ही फैक्ट्री के आदमी ने इन निर्देशों के साथ दिया था कि इसको रास्ते में खोलना नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई भी माल हिसार से लोड नहीं किया गया था। वाहन में माल लोड करके मैं हिसार से दादरी, बहरोड़ होकर खैरथल आ रहा हूँ। माल लोड करवाने के बाद मैं भादरा नहीं गया हूँ।”

15. प्रथम लिफाफा जाँच अधिकारी द्वारा वाहन को चेक करने पर इसमें पाये गये माल 8300 kg लौह गर्डर (M.S. Joist) के सम्बन्ध में था। यह लिफाफा सीलबन्द था एवं इसमें निम्नलिखित दस्तावेज पाये गये थे :-

- (i) बिल्टी सं. 047/13.02.2013 मैसर्स प्रिन्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, हिसार की है जिसमें माल का प्रेषक M/s जिंदल रौलिंग मिल्स लिमिटेड, हिसार तथा प्रेषिती M/s हिसार होल्डिंग प्रा. लि. भादरा (TIN 08723552830); माल की विगत M.S. Joist 8.300 MT'; भाड़ा Rs. 5478/- अंकित। इस बिल्टी के पृष्ठ भाग पर M/s हिसार होल्डिंग प्रा. लि. द्वारा Sale in Transit (E-1 Sale) का पृष्ठांकन M/s प्रहलाद राय भगवान सहाय, खैरथल के पक्ष में अंकित है;
- (ii) M/s हिसार होल्डिंग प्रा. लि., भादरा का एक पत्र (To whom it may concern) dt. 13.02.2013 जिसमें यह माल M/s जिंदल रौलिंग मिल्स लि. हिसार से खरीदना तथा M/s प्रहलाद राय भगवान सहाय, खैरथल जिला अलवर को Sale in Transit के जरिये भेजना बताया है;
- (iii) M/s जिंदल कम्प्यूटराज्ड धर्मकांटा, हिसार की कांटा पर्ची सं. 1681/13.02.2013 माल वजन 8300 kg;
- (iv) एक लूज पर्ची जिसमें 107 नग गर्डर की साइज अंकित है।

16. द्वितीय लिफाफा भी सीलबन्द था जिसे खोलने पर उसमें प्रिन्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ही बिल्टी संख्या 048/13.02.2013 हिसार से भादरा की बनी हुई पाई गई। बिल्टी के पृष्ठभाग पर इसका Sale in Transit पृष्ठांकन M/s राजस्थान आयरन स्टोर, सोडावास लि. अलवर के पक्ष में अंकित था। पर इसमें ध्यान देने लायक रोचक तथ्य यह है कि माल सोडावास में खाली कर दिये जाने के उपरान्त ये दस्तावेज प्रेषिती व्यवहारी को नहीं दिये गये। वाहन चालक ने अपने बयानों में यह बताया है कि यह माल सोडावास

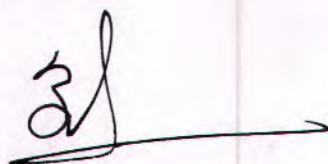
उतारा है तथा माल प्रेषक के निर्देशानुसार इस माल का बन्द लिफाफा हिसार ले जाकर वापिस देना था।

17. जाँच अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति के पश्चात उक्त प्रेषिती फर्म M/s राजस्थान आयरन स्टोर, सोडावास के यहां जाँच किये जाने पर 9.290 टन एम.एस. गर्डर M/s जिन्दल रौलिंग मिल्स लि., हिसार से सीधे ही खरीदना बताया जिसकी डिलीवरी उसी वाहन सं. HR 46A/9481 से लेना स्वीकार किया है। व्यवसाय स्थल पर उक्त माल की हिसार से जारी दो काँटा पर्ची पाई गई थी परन्तु माल का कोई बिल, बिल्टी, घोषणा पत्र आदि उसके पास नहीं होना जाहिर किया था। उक्त व्यवहारी ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 14.02.2013 को आया माल उसने उचन्त में ही खरीदा गया है तथा उसके पास इसकी काँटा पर्ची के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है।

18. दिनांक 15.02.2013 को हिसार होल्डिंग प्रा. लि. के निदेशक ने उपस्थित होकर परिवहनित माल के सम्बन्ध में घोषणा पत्र VAT-47 क्र. 5245015 पेश किया तथा जाहिर किया कि माल का बिल, हरियाणा राज्य का फॉर्म VAT D3 तथा घोषणा पत्र VAT 47 सहित तीन दस्तावेजों का एक लिफाफा वाहन चालक चाय पीने के दौरान बहरोड़ स्थित एक ढाबे पर भूल गया था। यद्यपि उक्त व्यवहारी यह बताने में असमर्थ रहा कि वाहन चालक किस ढाबे पर ये दस्तावेज छोड़ कर आया था। प्रस्तुत घोषणा पत्र VAT 47 की समयावधि दिनांक 01.11.2012 तक ही विद्यमान थी।

19. M/s हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि. के निदेशक द्वारा दिनांक 15.02.2013 को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कुछ दस्तावेज वाहन चालक द्वारा चाय पीने के दौरान किसी ढाबे पर छूटने का कथन किया गया था, उसके बारे में जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 15.02.2013 को तैयार की गई जांच रिपोर्ट में वाहन चालक श्री विक्रम यादव ने यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया कि उसके द्वारा रास्ते में किसी प्रकार के दस्तावेजों का लिफाफा नहीं छोड़ा गया था। अतः M/s हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि. के निदेशक का यह बयान कि वाहन चालक चाय पीने के दौरान कुछ दस्तावेज किसी ढाबे पर भूल गया था, अप्रामाणिक होने के साथ-साथ मिथ्या भी है।

20. अतः यह पाया जाता है कि प्रेषक व प्रेषिती व्यवहारियों द्वारा एक पूर्व नियोजित दुरभिसंधि (pre-planned collusion) के तहत करवंचनार्थ ही माल का परिवहन किया गया। इसी वाहन में लाया गया अन्य माल जो कि सोडावास में उतार दिया गया था एवं जिसके दस्तावेज प्रेषिती व्यवहारी को सुपुर्द ही नहीं किये गये थे तथा उसके द्वारा माल उचन्ती खरीदे जाने की स्वीकारोक्ति से प्रस्तुत प्रकरण में करवंचना की एक निश्चित *Modus Operandi* प्रमाणित होती है।



21. अपीलीय प्राधिकारी ने मार्गस्थ माल के साथ घोषणा पत्र VAT 47 जाँच दिनांक 14.02.2013 को माल के साथ नहीं होने तथा अगले दिन अर्थात् दिनांक 15.02.2013 को पेश करने को M/s डी.पी. मैटल्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में स्वीकार योग्य माना है। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी ने इस निर्णय का सुसंगत अंश अपने आदेश में reproduce भी किया है, जो इस प्रकार है "If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same." उक्त निर्णयांश से स्पष्ट है कि यदि गलती से ही कोई कागजात चैकिंग के समय पेश नहीं किये जा सके हों तो इन्हें पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण के facts and circumstances से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि घोषणा पत्र त्रुटिवश ही साथ में नहीं था। जब प्रेषक व्यवहारी द्वारा माल के दस्तावेज भली-भांति एक सीलबन्द लिफाफे में रखकर दिये गये थे, तो फॉर्म VAT 47 इन दस्तावेज के साथ नहीं होने का कोई भी बहाना युक्तिसंगत कारण नहीं हो सकता। द्वितीयतः, प्रत्यर्थी फर्म के निदेशक द्वारा यह कहना कि घोषणा पत्र VAT 47 सहित कुछ दस्तावेज वाहन चालक चाय पीते समय किसी ढाबे पर भूल गया था, भी अप्रामाणिक एवं unsubstantiated पाया जाता है, क्योंकि उसने यह नहीं बताया कि ये प्रपत्र वह किस particular ढाबे पर भूल गया था। साथ ही दिनांक 15.02.2013 की जांच रिपोर्ट में वाहन चालक ने कथन किया है कि कोई भी दस्तावेज कहीं भी भूलकर नहीं आया है। अतः अपीलीय प्राधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय के quoted text की प्रस्तुत प्रकरण के facts & circumstances के परिपेक्ष्य में सही व्याख्या नहीं की गई है।

22. अपीलीय प्राधिकारी ने बाद में प्रस्तुत अवधि-पर घोषणा पत्र को मात्र तकनीकी त्रुटि माना है तथा मात्र इस आधार पर भी शास्ति आरोपण को अनुचित माना है। यहां यह तथ्य गौर किये जाने योग्य है कि उक्त अवधिपर घोषणा पत्र मूलतः मार्गस्थ माल की जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था, अपितु अगले दिन अर्थात् दिनांक 15.02.2013 को पेश किया गया था, अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति (facts & circumstances of the case) को दृष्टिगत रखने पर इसे मात्र तकनीकी भूल मानने में अपीलीय प्राधिकारी ने त्रुटि की है।

23. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी ने प्रकरण के facts & circumstances पर गौर किये बिना ही प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोपित शास्ति अपास्त करने में विधिक भूल की है, अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

31

24. उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं से प्रकरण में तथ्यात्मक निष्कर्ष यह निकलता है कि :-
- (i) वाहन में जो दो सीलबन्द लिफाफे वक्त जाँच पाये गये थे, वे हिसार में माल लोड करने के समय उसी व्यवसाय स्थल पर चालक को दिये गये थे; बिल्टी के पृष्ठभाग पर sale in transit का पृष्ठांकन M/s हिसार होल्डिंग्स प्रा. लि. द्वारा किया जाना उल्लिखित है, परन्तु ऐसा कोई पृष्ठांकन माल का गमन प्रारंभ होने के पश्चात् ही किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण के उक्त तथाकथित पृष्ठांकन माल की रवानगी से पूर्व ही किया गया है, जो कि sale in transit की श्रेणी में नहीं आता है।
- (ii) सीलबन्द लिफाफे माल डिलीवरी के पश्चात पुनः प्रेषक व्यवहारी को दिये जाने के निर्देश वाहन चालक को दिये जाने तथा सोडावास में उतारे गये माल के दस्तावेज प्रेषिती व्यवहारी को नहीं दिये जाने एवं वाहन चालक के पास ही पाये जाने से करवंचना की पूर्व नियोजित योजना प्रमाणित होती है।
- (iii) M/s राजस्थान आयरन स्टोर, सोडावास के यहां उतारे गये माल जो कि G.R. सं. 048/13.02.2013 में वर्णित था, के सम्बन्ध में उक्त फर्म के मैनेजर के बयानों से माल सीधे ही जिन्दल रॉलिंग मिल्स लि. हिसार से उचन्ती खरीदा जाना बताया गया है। दोनों consignments की *Modus Operandi* से करवंचना का सुनियोजित प्रयास पाया जाता है।
- (iv) मार्गस्थल माल के सम्बन्ध में फॉर्म VAT 47 वाहन चालक द्वारा तथाकथित रूप से चाय पीने के दौरान किसी ढाबे पर भूल जाने का कथन असत्य, अप्रामाणिक एवं after thought पाया जाता है। अतः माल निर्दिष्ट घोषणा पत्र VAT 47 के बिना तथा करवंचना की सुनियोजित योजना के तहत परिवहनित किया जाना पाया जाता है। अतः धारा 76(2)(b) का उल्लंघन प्रमाणित होने पर शास्ति आरोपण विधि सम्मत पाया जाता है।
- (v) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति की अनदेखी कर इसकी गहराई में गये बिना ही प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गई है।
25. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
26. निर्णय सुनाया गया।


 27.12.2017
 (ओमकार सिंह आशिया)
 सदस्य